पुनरीक्षण अपराधी

माननीय न्यायमूर्ति एस.एस.संधावालिया के समक्ष

राज्य -याचिकाकर्ता

बनाम

हरि राम — उत्तरदाता

**1967 का आपराधिक पुनरीक्षण नंबर 56-आर**

30 अगस्त, 1968

**भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1) - धारा 123 - पंजाब पुलिस नियम - नियम 23.4 और 27.24 (2) - निगरानी पंजीकरण संख्या X - क्या एक निजी दस्तावेज है- इस तरह के रजिस्टर का मुख्य रखरखाव - क्या राज्य के 'मामलों' के दायरे में आता है - जनता को संभावित नुकसान - अदालतें - क्या इसकी जांच कर सकती है।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निगरानी रजिस्टर नंबर X को पंजाब पुलिस नियमों के तहत रखा जाता है जो वैधानिक हैं। नियमों में कहा गया है कि रजिस्टर गोपनीय होगा और विशिष्ट शब्दों में यह प्रावधान है कि इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है।

(पैरा 11)

माना गया कि निगरानी रजिस्टर एक दस्तावेज है जो आवश्यक रूप से सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक शांति से संबंधित है जो "राज्य के मामलों" शब्द के दायरे में आने वाली एक स्थापित श्रेणी है। एक बार जब यह परीक्षण पूरा हो जाता है तो यह न्यायालयों का काम नहीं है कि वे राज्य के मामलों से संबंधित दस्तावेज के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप संभावित चोट की जांच करें। यह पूरी तरह से संबंधित प्राधिकरण और संबंधित विभाग के प्रमुख को तय करना होगा। वास्तव में ऐसा व्यक्ति यह निर्धारित करने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगा कि इसका खुलासा सार्वजनिक हित में है या नहीं।

(पैरा 12)

करनाल के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट श्री पी. एल. सांघी के दिनांक *22* जून, *1966* के आदेश में संशोधन के लिए श्री एस. सी. मित्तल, सत्र न्यायधीश, करनाल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/439 के तहत रिपोर्ट किए

गए मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि रजिस्टर का निरीक्षण केवल शिकायतकर्ता के नाम के संबंध में प्रविष्टि तक ही सीमित रहेगा।

आर.ए. सैनी ,एडवोकेट जनरल (हरियाणा) के वकील, याचिकाकर्ता की ओर से।

राम रंग, अधिवक्ता,प्रतिवादी की ओर से।

उच्च न्यायालय का आदेश

1. संदावलिया जे०——इस आपराधिक पुनरीक्षण की सूचना सत्र न्यायाधीश, करनाल **ने** इस सिफारिश के साथ दी है कि करनाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पी०एल० संघी के दिनांक 22 जून, 1966 के आदेश को निरस्त किया जाए।

2. पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि हरि राम नाम के व्यक्ति ने उप-निरीक्षक अटल बिहारी माथुर, पूर्व स्टेशन हाउस ऑफिसर, करनाल सिटी पुलिस स्टेशन और मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हुकम चंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 167/217-218 के तहत शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में लगाए गए आरोप हैं कि उपरोक्त दो आरोपियों ने किसी भी सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश के बिना उक्त रजिस्टर में शिकायतकर्ता का नाम जोड़कर करनाल शहर के पुलिस स्टेशन के रजिस्टर नंबर 10 (निगरानी रजिस्टर) में प्रक्षेप किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि यह राज्य और पुलिस के नियमों के खिलाफ़ व तरलोचन सिंह नामक व्यक्ति की स्क्रीनिंग के गुप्त उद्देश्य से किया गया था, जिसने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक अपमानजनक लेख प्रकाशित किया था। इसलिए, शिकायतकर्ता ने निगरानी रजिस्टर नंबर 10 को तलब करने के लिए ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दिया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसकी अनुमति दे दी थी। हालांकि, सुनवाई की तारीख पर संबंधित रजिस्टर को सीलबंद कवर में अदालत में पेश किया गया था और उसी समय गृह सचिव श्री एस०के० छिब्बर का एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के तहत विशेषाधिकार प्राप्त था। उक्त हलफनामे में गृह सचिव ने कहा था कि निगरानी रजिस्टर नंबर 10 राज्य के मामलों से संबंधित एक अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड है और इसका खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा। विशेषाधिकार का दावा करने के लिए अन्य कारणो के अलावा विशिष्ट कारण भी निम्नलिखित शब्दों में बताए गए थे: –

"पुलिस विभाग के उचित कामकाज के लिए रजिस्टर नंबर 10 (निगरानी रजिस्टर) को गुप्त रखना बेहद जरूरी है और दस्तावेज़ का खुलासा बुरे पात्रों और अपराधियों की गुप्त निगरानी के उद्देश्य को विफल कर देगा।

3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दलीलों को सुनने और अथॉरिटीज़ पर विचार करने के बाद विचाराधीन रजिस्टर के उत्पादन के संबंध में विशेषाधिकार के दावे को खारिज कर दिया **और** निर्देश दिया कि रजिस्टर के निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन शिकायतकर्ता के नाम के बारे में प्रविष्टि तक ही यह निरीक्षण सीमित होना चाहिए। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध राज्य ने सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी जिसे अब उपर्युक्त सिफारिश के साथ इस न्यायालय को भेज दिया गया है।

4. इसलिए, इस याचिका में जो मुद्दा निर्धारण के लिए आता है, वह यह है कि क्या पंजाब पुलिस नियम, 1934 के प्रावधानों के तहत बनाए गए निगरानी रजिस्टर नंबर X में प्रविष्टियों के संबंध में विशेषाधिकार का दावा टिकाऊ है।

5. हरि राम प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री राम रंग, जिन्होंने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ के खिलाफ अपने मुवक्किल के लिए बहुत दृढ़ता से मामला प्रस्तुत किया है, ने मुख्य रूप से पंजाब राज्य बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह, (1)[1] मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर मजबूत भरोसा किया है। :-

"इस प्रकार हमारा निष्कर्ष यह है कि धारा 123 और 162 को एक साथ पढ़ने से अदालत सार्वजनिक हित को संभावित नुकसान की जांच नहीं कर सकती है, जो विचाराधीन दस्तावेज के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप हो सकती है। यह संबंधित प्राधिकारी को निर्णय लेने का विषय है; लेकिन न्यायालय एक प्रारंभिक जांच करने और इसके उत्पादन पर आपत्तियों की वैधता निर्धारित करने के लिए सक्षम है और वास्तव में बाध्य है और इसमें आवश्यक रूप से इस सवाल की जांच शामिल है कि क्या सबूत धारा 123 के तहत राज्य के मामले से संबंधित हैं या नहीं।

6. उपरोक्त पर भरोसा करते हुए, श्री राम रंग ने प्रस्तुत किया है कि ट्रायल कोर्ट प्रारंभिक जांच करने और विशेषाधिकार के दावे की वैधता निर्धारित करने का हकदार था और ट्रायल कोर्ट का निर्णय प्रारंभिक जांच करने और कानून निर्धारित करने का हकदार था और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। श्री राम रंग ने निरंजन दास सहगल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2), भारत संघ और अन्य राज कुमार गुजराल, (3), और ए० रामचंद्रन बनाम ए० अलागिरिस्वामी और अन्य, (4) पर भी भरोसा जताया है।। जैसा कि इस विषय पर कानून को सारगर्भित रूप से पंजाब राज्य बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह, (1), अमर चंद बुटेल,बनाम भारत संघ और अन्य, (5), और उप-विभागीय कार्यालय, मिर्जापुर, और अन्य, बनाम राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह(6), में निर्धारित किया गया है ,विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अथॉरिटीज़ की श्रृंखला का विश्लेषण करना अब आवश्यक नहीं है जो मोटे तौर पर केवल सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त अथॉरिटीज़ में निर्धारित कानून का पालन करते हैं। श्री राम रंग का दूसरा तर्क गृह सचिव श्री एस० के० छिब्बर द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री के बारे में था, जिसमें उन्होंने निगरानी रजिस्टर के लिए विशेषाधिकार का दावा किया था, जिसका उत्पादन मुद्दे में था। श्री राम रंग, जिन्होंने उक्त हलफनामे से बड़े पैमाने पर पढ़ा था, का तर्क यह था कि यद्यपि इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी ने प्रश्न में दस्तावेज पर बहुत सावधानी से विचार किया था, फिर भी उन्होंने विशेष रूप से "पढ़ने" शब्द का उपयोग नहीं किया था। श्री राम रंग का तर्क था कि "पढ़ने" शब्द का उपयोग करने में उनकी विफलता या चूक गृह सचिव द्वारा दायर हलफनामे को खराब करेगी। इसी संदर्भ में एक अन्य तर्क यह था कि क्योंकि हलफनामे के मुख्य भाग में उन्होंने "प्रामाणिक" शब्दों का उपयोग नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि वह "प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुंचे थे," इसलिए, दायर किए गए हलफनामे को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। श्री राम रंग के इस तर्क पर स्पष्ट रूप से केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और फिर इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 के तहत विशेषाधिकार का दावा करने के लिए हलफनामा दाखिल

---

(1) A.I.R. 1961 S.C. 493.
(2) I.L.R. (1968) 2 Pb. and Hry. 171
(3) A.I.R. 1967 Punjab 387.
(4) A.I.R, 1961 Mad. 450.

करने में कोई जादुई संकेत या फॉर्मूला नहीं है, जिसे आवश्यक रूप से दोहराया जाना चाहिए। जब यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित अधिकारी ने जारी किए गए दस्तावेज पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है और अपने निष्कर्ष के लिए विस्तृत कारण भी दिए हैं कि इसका खुलासा सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा, तो केवल "पढ़ें" या "वास्तविक" शब्द की अनुपस्थिति किसी भी तरह से ऐसे हलफनामे की वैधता को कम नहीं करेगी।

7. श्री आर०ए० सैनी ने पंजाब पुलिस नियमों के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय की उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, (7)[2], और तिरलोक सिंह-गुरदीत सिंह राजपूत बनाम पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर, (8) में टिप्पणियों पर भरोसा किया। उन्होंने श्री राम रंग द्वारा उद्धृत अथॉरिटीज़ और सोढ़ी सुखदेव सिंह(1) के मामले पर भरोसा किया है।पंजाब पुलिस नियम, 1934 के प्रासंगिक प्रावधान, जो निर्धारण के लिए आते हैं, यहां विस्तार से निर्धारित किए जा सकते हैं।

"23.4 (1) रेलवे पुलिस के अलावा हर पुलिस स्टेशन में, फॉर्म 23.4 (1) में एक निगरानी रजिस्टर रखा जाएगा।

23.31. पुलिस निगरानी से जुड़े सभी रिकॉर्ड गोपनीय हैं; उनमें निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को सूचित नहीं किया जा सकता है और न ही निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है या प्रतियां दी जा सकती हैं, जैसा कि पुलिस नियमों में प्रावधान है। ऐसे अभिलेखों की जांच करने के लिए जिला और इलाका मजिस्ट्रेटों के अधिकार नियम 1.15 और 1.21 द्वारा शासित होते हैं और अदालत में उनकी पेशी के बारे में नियम अध्याय XXVII में निहित हैं।

27.24. (2) निम्नलिखित पुलिस रिकॉर्ड को धारा 123, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि उनके उत्पादन की मांग की जाती है, तो उन्हें पेश करने के लिए बुलाए गए पुलिस अधिकारी द्वारा महानिरीक्षक से फॉर्म 27.24 (2) में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। महानिरीक्षक अपने विवेक अनुसार ऐसे दस्तावेजों से प्राप्त साक्ष्य को देने की अनुमति दे सकता है और उसे इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी दस्तावेज के संबंध में विशेषाधिकार का दावा करने वाले पुलिस-अधिकारी को या तो मूल दस्तावेज, एक प्रति, या पूर्ण अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए, यदि यह स्थानीय भाषा में है, साथ ही एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए जो यह दर्शाती है कि विशेषाधिकार का दावा करना क्यों आवश्यक है और यह भी कि उसका दावा उचित है।

(1) निगरानी रजिस्टर [नियम 23.4 (1)]।

* * * *

** * * *

8. ऊपर उल्लिखित स्पष्ट प्रावधान किसी को भी संदेह नहीं छोड़ते हैं कि वैधानिक नियमों द्वारा निगरानी रजिस्टर संख्या X की सामग्री को पूरी तरह से गोपनीय माना जाना चाहिए। नियम 23.5(2) का अंतिम उप पैरा निम्नलिखित शब्दों में है :-

"ऐसे कारणों के रिकॉर्ड को गोपनीय माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति इसकी एक प्रति का हकदार नहीं होगा।

---

[2] (5) A.I.R. 1964 S.C. 1658.
(6) A.I.R. 1966 S.C. 1164.
(7) A.I.R. 1961 S.C. 751.
(8) A:I.R. 1959 Punjab 323.

फिर, नियम 23.31 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पुलिस निगरानी से जुड़े सभी रिकॉर्ड गोपनीय हैं। इस बिंदु पर विशेष रूप से नियम 27.24 (2) के प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि नियम 23.4 (1) के तहत बनाए गए निगरानी रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है।

9. पंजाब पुलिस नियम, पुलिस अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक नियम हैं; और निस्संदेह कानून का बल रखते है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के इसी तरह के प्रावधान का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बाबू राम उपाध्याय; (7) में उच्चतम न्यायालय ने मैक्सवेल द्वारा निर्धारित निर्माण के नियम को निम्नलिखित शर्तों में अनुमोदित किया है:-

"एक क़ानून के तहत बनाए गए नियमों को निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए ठीक उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे कि वे अधिनियम में थे और अधिनियम **में** निहित समान प्रभाव के होने चाहिए और निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वैधानिक नियम

* * * * ♦ * *

* * * * * *

प्रशासनिक निर्देशों के रूप में वर्णित या समकक्ष नहीं किया जा सकता है। यदि हां, तो पुलिस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम एक स्व-निहित संहिता का गठन करते हैं जो पुलिस-अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

10.तिरलोक सिंह, गुरदीत सिंह, राजपूत बनाम पुलिस अधीक्षक , फिरोजपुर, (8), जो इस न्यायालय की एक खंडपीठ प्राधिकारी है, ने पंजाब पुलिस नियम, 23-4, जिसके तहत निगरानी रजिस्टर संख्या 10 को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, की संवैधानिकता पर फैसला सुनाते हुए निम्नानुसार देखा-

"नियम काफी स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि निगरानी रजिस्टर एक गोपनीय दस्तावेज है और इसमें की गई प्रविष्टि किसी भी तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करती है। * * * *****

* * . यह स्पष्ट है कि इस रजिस्टर का रखरखाव किसी भी तरह से अवैध नहीं है और वास्तव में, पुलिस कर्तव्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक परम आवश्यकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानी पंजीकरणकर्ता संख्या X को वैधानिक नियमों के तहत बनाए रखा जाता है, जो आगे निर्धारित करता है कि यह गोपनीय होगा और विशिष्ट शब्दों में प्रावधान है कि उक्त रजिस्टर को साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है।

11.भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 के तहत धारा 123 और 162 के तहत विशेषाधिकार का निर्धारण किया जा सकता है जो निम्नलिखित शब्दों में हैं -

"123. किसी को भी राज्य के किसी भी कार्य से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई भी साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या रोकेगा जैसा वह उचित समझे।

162. कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया गवाह, यदि वह उसके कब्जे या शक्ति में है, तो उसे न्यायालय में लाएगा, भले ही उसे पेश करने या इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति हो। ऐसी किसी भी आपत्ति की वैधता न्यायालय द्वारा तय की जाएगी। न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकता है, जब तक कि यह राज्य के मामलों को संदर्भित नहीं करता है या इसकी स्वीकार्यता पर निर्धारित करने

में सक्षम होने के लिए अन्य सबूत नहीं लेता है। यदि ऐसे उद्देश्य के लिए किसी भी दस्तावेज का अनुवाद करना आवश्यक है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो अनुवादक को सामग्री को गुप्त रखने का निर्देश दे सकता है, जब तक कि दस्तावेज़ साक्ष्य में नहीं दिया जाना है; और यदि दुभाषिया इस तरह के निर्देश की अवज्ञा करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत अपराध माना जाएगा।

"राज्य के मामलों" शब्द को किसी भी क़ानून में सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ प्रसिद्ध श्रेणियों को हमेशा इन शब्दों के दायरे में माना जाता है। सोढ़ी सुखदेव सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इनका अर्थ स्पष्ट रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

"धारा 123 के तहत राज्य के मामले क्या हैं? उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य के मामलों में तुलनात्मक रूप से संकीर्ण सामग्री हो सकती है। सरकारी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में धारणा को ध्यान में रखते हुए, जो तब प्राप्त हुआ था, राज्य के मामलों का मतलब होगा राजनीतिक या प्रशासनिक चरित्र के मामले, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय रक्षा, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा और अच्छे पड़ोसी संबंधों से संबंधित। इस प्रकार, यदि दस्तावेजों **की** सामग्री ऐसी थी कि उनके प्रकटीकरण से सार्वजनिक सुरक्षा की राष्ट्रीय रक्षा या अच्छे पड़ोसी संबंध प्रभावित होंगे तो वे राज्य के मामलों से संबंधित दस्तावेज के चरित्र का दावा कर सकते हैं।

12.उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, यह किसी भी तरह से संदेह नहीं करता है कि निगरानी रजिस्टर एक दस्तावेज है जो आवश्यक रूप से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से संबंधित है जो "राज्य के मामलों" शब्द के दायरे में आने वाली एक स्थापित श्रेणी है। एक बार जब यह परीक्षण पूरा हो जाता है तो यह न्यायालयों का काम नहीं है कि वे सार्वजनिक हित को संभावित नुकसान की जांच करें, जो राज्य के मामलों से संबंधित दस्तावेज के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप हो सकती है। अब तक यह तय हो चुका है कि यह मामला पूरी तरह से संबंधित प्राधिकारी और संबंधित विभाग के प्रमुख को तय करना होगा।वास्तव में ऐसा व्यक्ति यह निर्धारित करने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगा कि इसका खुलासा सार्वजनिक हित में है या नहीं। सोढ़ी सुखदेव सिंह के मामले में कानून के इस दृष्टिकोण की पुष्टि अमर चंद बुटेल के मामले में और फिर से उप-विभागीय अधिकारी, मिर्जापुर और अन्य बनाम राजा श्रींद्वासा प्रसाद सिंह (6) मामले में की गई।

13. विशेषाधिकार का दावा करने का तरीका भी क़ानून और इसकी व्याख्या करने वाली अथॉरिटीज़ दोनों द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान मामले में विशेषाधिकार का दावा करने के तरीके का भी कानून के अनुरूप अनुपालन किया गया है। सरकार द्वारा राज्य की ओर से विशेषाधिकार का दावा किया गया है, जिसे गृह सचिव के एक हलफनामे **द्वारा** विधिवत समर्थन प्राप्त है, जो विस्तार से है और इसमें निम्नलिखित शब्दों में विशेषाधिकार का दावा करने के कारणों को निर्दिष्ट किया गया है -

"पुलिस विभाग के उचित कामकाज के लिए रजिस्टर नंबर 10 (निगरानी रजिस्टर) को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है और दस्तावेज़ का खुलासा बुरे पात्रों और अपराधियों की गुप्त निगरानी के दायरे को निराश करेगा।

14. डंकन और अन्य बनाम कैममेल, लेयर्ड एंड कंपनी, लिमिटेड (9)[3] मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक निर्णय ऐसे भी रखा गया कि जहां सार्वजनिक सेवा के उचित कामकाज के लिए दस्तावेजों के एक वर्ग को गुप्त रखने की प्रथा आवश्यक है, राज्य, राज्य के मामलों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों के बारे में विशेषाधिकार का दावा करने के अपने अधिकारों के भीतर पूरी तरह से होगा। श्री राम रंग ने दो निर्णयों पर भी मजबूत भरोसा किया है,

---

(9) 1942 A.C 624

अर्थात्, चिराग दीन मुहम्मद बख्श बनाम द क्राउन **(10)** [4]**च** तेजा सिंह बनाम सम्राट (11), (जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा भी भरोसा किया गया है) उस प्रस्ताव के समर्थन में जिसे उसने प्रचारित किया था। चिराग दीन मुहम्मद बख्श के मामले में यह ध्यान देने योग्य है कि विभाग के प्रमुख द्वारा विशेषाधिकार का दावा नहीं किया गया था जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। गवाही देते समय अकेले गवाह ने विशेषाधिकार का दावा किया था और इस तरह वह ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने पाया था कि पुलिस महानिरीक्षक कानून में विशेषाधिकार का दावा करने का हकदार व्यक्ति था और उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया था। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह मामला निगरानी रजिस्टर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, इस मामले में, विद्वान न्यायाधीश का ध्यान पंजाब पुलिस नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर नहीं दिलाया गया, जिन्हें इस फैसले के पहले भाग में उद्धृत किया गया है। इसलिए, यह अथॉरिटी तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है और याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। इसी तरह, तेजा सिंह के मामले में यह माना गया था कि किसी विशेष व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में पुलिस स्टेशन में रखे गए रिकॉर्ड और उसके बारे में सब-इंस्पेक्टर द्वारा समय-समय पर निरीक्षक को या यहां तक कि इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक को की गई रिपोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त नहीं माना जा सकता है। इस निर्णय में भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से कहा था कि विशेषाधिकार के बारे में दावा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था और एक उप-निरीक्षक या यहां तक कि पुलिस निरीक्षक भी संभवतः इसका दावा नहीं कर सकता था। यह अथॉरिटी निगरानी रजिस्टर से भी संबंधित नहीं है जो विशेष रूप से वर्तमान मामले में जारी है। इसलिए, निगरानी रजिस्टर के संबंध में विशेषाधिकार के मुद्दे के निर्धारण के लिए इन अथॉरिटीज़ पर आधारित ट्रायल कोर्ट का तर्क, तर्कसंगत नहीं है।

15. श्री राम रंग ने तब जोरदार तर्क दिया है कि यदि राज्य द्वारा विशेषाधिकार के दावे को बरकरार रखा जाता है तो उनके मुवक्किल का मामला विफल होने की संभावना है, और इससे उन्हें बहुत कठिनाई होगी और इसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों तक आरोप पहुँचाने में विफलता भी हो सकती है।हालांकि, यह राज्य द्वारा किए गए विशेषाधिकार के वैध दावे को अस्वीकार करने का शायद ही कोई आधार है। यह स्थापित कानून है कि जहां निजी हित और सार्वजनिक हित एक-दूसरे के साथ टकराते हैं, निजी हित को सार्वजनिक हित के लिए रास्ता बनाना चाहिए। यह ऐसी स्थिति थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिमाग में थी जब उन्होंने सोढ़ी सुखदेव सिंह के मामले में कहा था कि—

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस वादी का दावा प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेज पेश न करने के परिणामस्वरूप सफल नहीं हो सकता है, वह परिणाम से व्यथित महसूस कर सकता है, और, न्यायालय, उक्त निर्णय तक पहुंचने में, असंतुष्ट महसूस कर सकता है; लेकिन यह इस मूल सिद्धांत की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा कि सार्वजनिक भलाई और हित को निजी हित और निजी हित के विचार से ऊपर होना चाहिए।

16.इसलिए, मैं सत्र न्यायाधीश, करनाल के आदेश से सहमत होते हुए, 22 जून, 1966 के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करता हूं और राज्य द्वारा किए गए निगरानी रजिस्टर के संबंध में विशेषाधिकार के दावे को बरकरार रखता हूं। परिणाम में यह आपराधिक संशोधन स्वीकार की जाती है।

---

(10) (1951) 52 Crl. Law Journal 161
. (11) A.I.R. 1945 Lah. 293.

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**बेनिका**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer)**

**हरियाणा**